बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ–226025

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)
Vidya Vihar, Rae Bareli Road, Lucknow-226025

Letter No: 524/PROCT./BBAU/2022 **Date: 06-01-2022**

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष, निदेशक, समन्वयक
बी.बी.ए.यू., लखनऊ

विषय :– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग निषेध से सम्बन्धित अधिनियम 2009 के संदर्भ में।

महोदय,

पत्रांक संख्या **522/PROCT./BBAU/2021** दिनाँक 16.12.2021 (पत्र संलग्न) के आलोक में पुनः अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग निषेध से सम्बन्धित अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अपने विभागों में संलग्न पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे छात्रों को रैगिंग से सम्बन्धित नियमों एवं उससे भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सके तथा विश्वविद्यालय का महौल शान्तिपूर्ण बना रहे।

कुलानुशासक

प्रतिलिपिः–

1. सहायक कुलसचिव, कुलपति महोदय, बी.बी.ए.यू., लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, कुलसचिव महोदय, बी.बी.ए.यू., लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. इंचार्ज, विश्वविद्यालय वेवसाइट।
4. रक्षित प्रत्रावली।

कुलानुशासक 6/1/2022

Scanned with CamScanner

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ–226025

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)
Vidya Vihar, Rae Bareli Road, Lucknow-226025

Letter No: 522 /PROCT./BBAU/2021 Date: 16-12-2021

कार्यालय आदेश

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के **रैगिंग निषेध से सम्बन्धित अधिनियम 2009, खण्ड 6.2 के विनियम (ड़)** के आधार पर सभी विभागाध्यक्ष, निदेशक, समन्वयक से अनुरोध है कि, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021–22 के प्रारम्भ में, रैगिंग मुक्त परिसर बनाने हेतु अपने विभाग में जूनियर एवं सीनियर छात्रों का संयुक्त अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम कराने का कष्ट करें, कार्यक्रम में कुलानुशासक महोदय, कुलानुशासक मण्डल के सदस्यों एवं विश्वविद्यालय के काउन्सलर का सम्बोधन भी समीचीन होगा। जिससे छात्रों को रैगिंग से सम्बन्धित नियमों एवं उससे भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सके तथा विश्वविद्यालय का माहौल शान्तिपूर्ण बना रहे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के **रैगिंग निषेध से सम्बन्धित अधिनियम 2009, खण्ड 6.2 के विनियम (ज़)** के आधार पर सभी विभागाध्यक्ष, निदेशक, समन्वयक से अनुरोध है कि, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021–22 के प्रारम्भ में, नये छात्रों के प्रत्येक बैच को छोटे–छोटे वर्गों में बांटकर संकाय के किसी एक सदस्य की निगरानी में करें जिससे छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

कुलानुशासक

प्रतिलिपिः–

1. सहायक कुलसचिव, कुलपति महोदय, बी.बी.ए.यू., लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, कुलसचिव महोदय, बी.बी.ए.यू., लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी विभागाध्यक्ष, निदेशक, समन्वयक, बी.बी.ए.यू., लखनऊ, को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह अपने विभाग में उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4. इंचार्ज, विश्वविद्यालय वेबसाइट।
5. रक्षित प्रत्रावली।

कुलानुशासक

Scanned with CamScanner